न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 65/2017

मोतीराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। ——रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज.भू–रा.अधि. 1956
विरूद्ध आदेश अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ दिनांक 05.06.2017 एवं तहसीलदार सरूतगढ दिनांक 22.09.2015

उपस्थितिः–

श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28/11/18

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 22.09.2015 से अपीलांट को ग्राम 191.500आर.डी.एल. के प.नं. 53/40 की 5.819है0 भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, तावान कायम करने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश दिये हैं। उक्त आदेश की अपीलांट ने अति. कलक्टर सूरतगढ के समक्ष प्रथम अपील पेश की। अति.कलक्टर सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 05.06.2017 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तीन माह की सिविल कारावास के स्थान पर एक माह के सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पहले अपीलांट के पिता को आरजी काश्त पर आवंटित थी, बाद में अपीलांट को आवंटित हुई। अपीलांट का नियमन का प्रा.पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है।

अपीलांट नियमन राशि जमा करवाने के लिए तैयार है। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे साथ ही अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि वह एक सदभावी काश्तकार है। ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध पारित सिविल कारावास सजा के आदेश पर सहानुभूति का रूख अपनाते हुए सिविल कारावास पूर्णतया माफ किया जावे। इस हेतु वह सरकारी भूमि से अपना कब्जा हटाने को भी तैयार है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। उसके द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा किया था। यदि अपीलांट का नियमन का प्रा.पत्र सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तो वहां पर कार्यवाही करनी चाहिए। अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रति नरम रूख अपनाते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है जो उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि उसे विवादित भूमि आरजी काश्त पर आंवटित थी एवं नियमन का प्रा.पत्र सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। सक्षम न्यायालय में प्रा.पत्र विचाराधीन होने से कोई टाईटल प्राप्त नहीं होता। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि रकबा राज है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था जिसकी अपील अति. कलक्टर सूरतगढ के समक्ष पेश होने पर अतिरिक्त कलक्टर द्वारा सहानुभूमि का रूख अपनाते हुए अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की है। इस प्रकरण में अपीलांट को विचारण न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया था जिसका कोई जबाब/खण्डन अपीलांट ने नहीं किया था। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के विनम्र मत में विचारण/अधी. न्यायालय के आदेश जिसमें उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए आदेश पारित किया है कि में कोई अवैधानिकता नहीं है एवं अधी. न्यायालय अति.कलक्टर सूरतगढ द्वारा सहानुभूति का रूख रखते हुए सिविल कारावास के दण्ड को कम करने का जो आदेश दिया

है उसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है एवं इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी उचित प्रतीत नहीं होता है। परन्तु अपीलांट ने इस न्यायालय के समक्ष भी अपनी बहस में सिविल कारावास की सजा के बिन्दु पर सहानुभूति का रूख रखने की इस्तदुआ की है एवं मौखिक रूप से मौके पर अवैध कब्जा हटाने की बात कही है। चूंकि अपीलांट एक काश्तकार व्यक्ति है। अतः यह न्यायालय भी अपीलांट के विरूद्ध सहानुभूति का रूख अपनाते हुए सिविल कारावास के सम्बन्ध में यह आदेश देना उचित समझता है कि यदि अपीलांट अधी. विचारण न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष विवादित भूमि से अपना कब्जा भौतिक रूप से हटाने व इस भूमि पर भविष्य में अवैध कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करें एवं तहसीलदार स्वयं की मौका जांच में शपथ पत्र के तथ्य सही पाये जाए तो केवल सिविल कारावास निरस्त समझी जावे अन्यथा स्थिति में एक माह का सिविल कारावास का आदेश यथावत रहेगा। अपीलांट के विरूद्ध पारित बेदखली व तावान का आदेश इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा साथ ही ऐसी स्थिति में तहसीलदार सूरतगढ को निर्देश भी दिये जाते हैं कि अपीलांट द्वारा भविष्य में अतिक्रमण करने पर उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर उसके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावे। इस प्रकार अधी. न्यायालय द्वारा पारित बेदखली व तावान का आदेश यथावत रखते हुए सिविल कारावास के सन्दर्भ में उक्तानुसार सशर्त आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/11/14 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/14

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

है।